नम्बर
अहका
हुक्म
में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

अपील सं. 16/20

[illegible]:–

1 भोला राम 2 जीवन राम पि0 धानिया जाति चमार सा. भगतपुरा तह0 संगरिया।

अपीलांट

बनाम

1 गुरदेव सिह पुत्र बचन सिह जाति बाजीगर सा. चंदूरवाली तह0 टिब्बी।
2 गुरदिन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह0 संगरिया।
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 64/47 दिनांक 17.6.95 ।

उपस्थितः– 1 श्री सुखपाल सिंह अभिभाषक अपीलांटस
2 श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3 श्री भानू प्रताप अभिभाषक रेस्पे0 सं0 2

Web Copy - Not Official

–:निर्णयः–

दिनांकः –09.02.2018

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांटस के पिता को प्रश्नगत भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन हुई थी। यह भूमि धानियां के कब्जा काश्त में रहीं उसकी मृत्यु के उपरांत अपीलांटस के कब्जा काश्त में चली आ रही है। मगर उपरोक्त आराजी का बैयनामा रेस्पो0 सं. 1 ने कूटरचित करके आपने नाम तैयार कर लिया व कूटरचित बैयनामा दि0 12.9.94 के आधार पर इन्तकाल दिनांक 17.6.95 अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी है:–

1. यह कि इन्तकाल दिनांक 17.6.95 कतई गलत, आधारहीन व कूटरचित बैयनामा के आधार पर तैयार किया गया है।
2. यह कि स्व0 धानिया द्वारा गुरदेव सिंह को किसी भूमि का बैयनामा नहीं करवाया है। बैयनामा पर अंकित धानिया का अंगूठा निशानी प्रथम दृष्टया धानिया के प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि धानियां की घर की हिसाब कितान की बही जिसमें धानिया ने जसवंतसिंह से जमीन 18वां हिस्सा पर ली थी। हिस्सा पर जमीन देते समय धानिया के अंगूठे करवाये गये थे, से तथाकथित बैयनामा पर अंगूठा निशानी से भिन्न है। इस प्रकार कूटरचित बैयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल निरस्त योग्य है।

3 यह कि रेस्पो0 सं0 3 द्वारा इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया गया तथाकथित बैयनामा पर अंकित दिनांक 12.9.94 के लगभग 9 माह तथाकथित इन्तकाल दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि बैयनामा व इन्तकाल कूटरचना कर तैयार किये गये हैं।

4 यह कि धानियां को भूमिहीन में आवंटित भूमि को विधि अनुसार बैय करने का अधिकार नहीं था।

5 यह कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति को भूमिहीन होने के नाते आवंटित की गयी थी मगर कुछ रोज पूर्व रेस्पो0 सं. 1 व उसकी संतान की शह पर रेस्पो0 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया । अपीलांटान ने पूछने पर रेस्पो0 2 ने बताया कि उक्त भूमि रेस्पो0 1 के नाम से खरीद की है जबकि वास्तव में रेस्पो0 2 ने ही राजस्व विभाग व रेस्पो0 1 से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित बैयनामा तैयार कर खरीद की है।

6 यह कि तथाकथित फर्जी बैयनामा व इन्तकाल का ज्ञान अपीलांटस को अपीलांटान के कब्जा काश्त की उपरोक्त भूमि में रेस्पो0 2 द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने पर हुआ।

7 यह कि ज्ञान होने के बाद अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है।

8 यह कि प्रश्नगत भूमि अपीलांटान की विरास्तन भूमि है । प्रथम दृष्टया मामला अपीलांटान के पक्ष में बनता है। अनुसूचित जाति की भूमि स्वर्ण द्वारा खरीद नहीं की जा सकती, ना ही काश्त की जा सकती है। इसलिए रेस्पो0 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि रेस्पो0 1 प्रश्नगत भूमि को किसी भी प्रकार से अंतरित करने व ठेका पर देने अथवा बैयनामा कर बेच देने से अपील के लम्बित रहने तक निषिद्ध रहे। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया, जो जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया। अभिभाषक रेस्पो0 1 द्वारा जबाब स्थगन प्रा0पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्रों का जबाब प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रश्नगत इन्तकाल फर्जी बैयनामा से दर्ज किया गया है। साथ ही कथन किया कि रेस्पो0 के विरूद्ध 420,467,468,471,406,447,120(बी) का मुकदमा पुलिस थाना संगरिया में दर्ज हुआ, जिसकी प्रोटेस्ट न्यायालय मे विचाराधीन है। इसमें एफ.आर. स्वीकृत नहीं हई है, जिसकी सुनवाई चल रही है। इसलिए प्रश्नगत इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत इन्तकाल पंजीकृत बैयनामा के आधार पर दर्ज हुआ है। पंजीकृत दस्तावेज के

अभिभाषक रेस्पो0 2 ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है, ना ही उसने इस भूमि पर कथित रूप से कोई कब्जा किया है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 1 के कब्जा काश्त में है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांटस का मुख्य तर्क है कि प्रश्नगत इन्तकाल फर्जी बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य है। जबकि अभिभाषक रेस्पो0 1 का मुख्य तर्क है कि प्रश्नगत इन्तकाल पंजीकृत बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है। इसलिए अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावे। अपीलाधीन इन्तकाल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत इन्तकाल पंजीकृत बैयनामा एस0 आर0 संगरिया से दिनांक 12.9.94 के आधार पर दर्ज किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज इन्तकाल को फर्जी बैयनामा मानकर निरस्त करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार संगरिया को आदेशित किया जाता है कि अपीलांटस के कथनानुसार प्रश्नगत आराजी पर रेस्पो0 2 का कब्जा काश्त है इस बिन्दु की जांच कर यदि कब्जा रेस्पो0 1 के स्थान पर रेस्पो0 2 का पाया जाता है तो वे नियमानुसार धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थत न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक **09.02.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़